

# प्रपत्र (1)

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हि०प्र०

क्रम संख्या.....

पंजीकरण तिथि.....

## इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख—सम्मान निधि योजना

1. आवेदिका का नाम:.....

2. पिता का नाम:..... माता का नाम:.....

पति का नाम:.....

3. यदि पिता / पति / माता जीवित नहीं हैं तो संरक्षक का नाम व सम्बन्ध

आवेदिका का फोटो

4. स्थाई पता:—गाँव..... वार्ड नं०.....

पंचायत..... डाकघर..... तहसील.....

जिला..... पिन कोड.....

5. दूरभाष / मोबाईल संख्या:.....

6. जन्मतिथि:—(अंकों में):..... शब्दों में.....

7. श्रेणी:— अनु० जाति / अनु० ज० जाति / अ० पि० वर्ग / अन्य

8. क्या आवेदिका अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखती है? हां / नहीं

9. क्या बी० पी० एल० परिवार से सम्बन्धित है:—.....

10. यदि हां, तो परिवार की बी० पी० एल० संख्या सर्वेक्षण वर्ष सहित:.....

11. आवेदिका का आधार कार्ड नम्बर:.....

12. आवेदिका के परिवार का राशन कार्ड नम्बर:.....

13. क्या आवेदिका के परिवार से निम्न श्रेणियों के सदस्य हैं ?

केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पैशनर, अनुबन्ध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/ अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवायें, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशावर्कर/मिड डे मीलवर्कर/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पैशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं / शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपकरण/बोर्ड/कांउसिल/एजेंसी में कार्यरत/पैशनभोगी, वस्तु एवं सेवा कर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकर दाता इत्यादि।

हाँ/नहीं

14. आवेदिका के नाम बैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरण :

(क) बैंक/डाकघर का नाम जहां खाता है:

(ख) खाता संख्या:

(ग) आई. एफ. एस. सी. कोड:

मैं क्रम संख्या 1 से 14 तक दी गई सूचना को सत्यापित करती हूँ। इस सूचना में कोई भी जानकारी मिथ्यात्मक या भ्रामक नहीं है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(पैड की स्थाही के साथ)

## सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती.....

सुपुत्री/पत्नी.....गांव.....वार्ड नं0.....

डाकघर.....पंचायत ..... तहसील.....

जिला.....पिनकोड़.....हिमाचलप्रदेश की स्थायी निवासी है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/तथ्यों/दस्तावेजों की जांच मैंने स्वयं की है तथा इसके दृष्टिगत

आवेदिका इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख—सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत निर्धारित राशि प्राप्त करने हेतु

( ) पात्र/अपात्र है तदानुसार आवेदिका के प्रार्थना पत्र को ( ) स्वीकृत/रद्द करने

की सिफारिश की जातीहै।

तहसील कल्याण अधिकारी

तहसील:

जिला:

नोट:—आवेदिका अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करेः—

1. हिमाचली बोनाफाईड / मूल निवासी प्रमाणपत्र।
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. बैंक / डाकघर खाता संख्या की छायाप्रति।
4. आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. परिवार रजिस्टर (ग्रामीण क्षेत्र) या राशन कार्ड (शहरी क्षेत्र) की छायाप्रति।
6. बौद्ध भिक्षुणी के लिये पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य चोमो द्वारा जारी प्रमाण पत्र।